उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–3
संख्या–316/XI(3)/2020/53(35)2004
देहरादून, 04 जून, 2020

अधिसूचना संख्या–212/XI(3)/2019/53(35)2004 दिनांक 05 मई, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी (संशोधन) सेवा नियमावली, 2020 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना की 150 प्रतियां ग्राम्य विकास अनुभाग–03 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, राज्यपाल उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
10. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार),
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग–3
संख्या– 212 /XI(3)/2019/53(35)2004
देहरादून, 05 मई, 2020

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

अधिसूचना

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी (संशोधन) सेवा नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी (संशोधन) सेवा नियमावली, 2020 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 6 का संशोधन	2. उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली, 2011 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है), के नियम 6 में अन्य पिछड़ा वर्ग शब्दों के पश्चात् "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" शब्दों को अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा।
नियम 8 का संशोधन	3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

	स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
	8. ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि/विज्ञान/अर्थशास्त्र/कॉमर्स में स्नातक उपाधि धारण करता हो, साथ ही वह कम्प्यूटर संचालन में सी0 सी0 सी0 लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो।	8. ग्राम विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई उपाधि धारण करता हो।

(एम०आर० कुकरेती)
अनुभाग अधिकारी
ग्राम्य विकास अनुभाग-3
उत्तराखण्ड शासन।

Scanned with CamScanner

नियम 9 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

	स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
अधिमानी अर्हता	9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान दिया जायेगा, जिसने– (एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो या, (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।	**अधिमानी अर्हता:** 9(1) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामलें में अधिमान दिया जायेगा, जिसने– (एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो या, (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। **अनिवार्य/वांछनीय अर्हता:** (2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों के लिये अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 एवं तद्क्रम में इस सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित नियमावलियों में निहित प्राविधान/शर्तों/उपबन्धों के अनुसार किये जायेगें।

नियम 10 का संशोधन

5. मूल नियमावली के नियम 10 में 18 वर्ष तथा 35 वर्ष अंको और शब्दों के स्थान पर क्रमशः "21 वर्ष" तथा "42 वर्ष" शब्द और अंक रख दिये जायेगें।

(आर० कुकरेती)
अनुभाग अधिकारी
ग्राम्य विकास अनुभाग-3
उत्तराखण्ड शासन।

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA
Scanned with CamScanner

नियम 13 का संशोधन	6. मूल नियमावली के नियम 13 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित कर दिये जायेगें, अर्थातः–
	"परन्तु यह कि विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या–49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा–33 के कम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा–34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।
	परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।"
नियम 14 का संशोधन	7. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

	स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
	14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या, संगत सेवा नियमावली के अनुसार ही, अवधारित करेगा। यदि चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।	14. नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या, संगत शासनादेशों/ सेवा नियमावली के अनुसार ही, अवधारित करेगा और उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सूचित करेगा।

(आर० कुकरेती)
अनुभाग अधिकारी
ग्राम्य विकास अनुभाग-3
उत्तराखण्ड शासन।

Scanned with CamScanner

नियम 15 का संशोधन

8. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–01	स्तम्भ–02
15 (1) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा। (2) जनपद के सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन राज्य के प्रत्येक जिले में मुख्यालय पर एक चयन समिति द्वारा किया जायेगा। जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें:– (क)जिलाधिकारी अध्यक्ष (ख)मुख्य विकास अधिकारी सदस्य (ग)जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक जनपदीय वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, जो अनुसूचित जाति या जनजाति के हों सदस्य (घ) जिला विकास अधिकारी सदस्य (ङ) अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य राजपत्रित अधिकारी टिप्पणी:–समस्त पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जनपद के मुख्यालय पर किया जायेगा। (3) लिखित परीक्षा 150 अंको की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी जिसमें अंको का वितरण निम्न प्रकार	15(1) सीधी भर्ती उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जायेगी। (2)रिक्तियों की संख्या जनपदवार घोषित की जायेगी। (3) सभी जनपदों के लिये एक ही लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। (4) अभ्यर्थी द्वारा एक ही आवेदन–पत्र भरा जायेगा तथा अभ्यर्थी आवेदन पत्र में नियुक्ति हेतु जनपदवार एक से तेरह जनपदों की वरीयता (Choice) दे सकता है। (5) लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन जिसमें ग्रामीण विकास से सम्बन्धित प्रश्न भी शामिल होगें। (6) भर्ती हेतु लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ पर (Objective Type Questions with Multiple Choice) आधारित होगी। (7) लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक (Negative Marking) की व्यवस्था होगी। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक तथा गलत

(एम०आर० कुकरेती)
अनुभाग अधिकारी
ग्राम्य विकास अनुभाग–3
उत्तराखण्ड शासन।

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

Scanned with CamScanner

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

होगा:–

(क) सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन जिसमें लेखा संबंधी विषय भी शामिल होगें वस्तुनिष्ठ प्रश्न–100 अंक।

(ख) कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंक

(ग) ग्राम्य विकास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंक।

(घ) सामान्य हिन्दी 10 अंक

(ङ) चयन श्रेष्ठता के आधार पर किया जायेगा किन्तु ऊपर (क) (ख) तथा (ग) व (घ) में अंकित विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करना चयन के लिए आवश्यक होगा।

(4) राज्य सरकार सभी जनपदों के लिए एक ही लिखित परीक्षा आयोजित कर सकती है।

(5) सीधी भर्ती करने के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र, उप नियम (6) में प्रकाशित प्रारूप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा:–

(क) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(ख) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार पत्र के माध्मय से विज्ञापन करके, और

उत्तर के लिए 1/4 अंक कम कर दिया जायेगा।

(8) परीक्षा में स्नातक स्तर के प्रश्न होंगे।

(9) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वैबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।

(10) चयन का परिणाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वैबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

(11) लिखित परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर जनपदवार प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थी कुल प्राप्तांको में समान अंक प्राप्त करें तो आयु में बड़े अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनाधिक) होगी।

(12) जनपदवार चयनित अभ्यर्थियों की एक एकीकृत वरिष्ठता सूची भी उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा बनाई जायेगी। जो भविष्य में सहायक खण्ड विकास अधिकारी पद पर या राज्य स्तरीय पदोन्नति के समय वरिष्ठता के निर्धारण हेतु

Scanned with CamScanner

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

	(ग) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके (7) रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र के प्रारूप पुन: प्रकाशित नहीं किया जायेगा। (8) भर्ती हेतु लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ पर (Objective Type Question with Multiple Choice) आधारित होगी। (9) परीक्षा में इन्टरमीडिएट स्तर के प्रश्न होंगे। (10) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी। (11) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) की कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में हो तथा परीक्षा के बाद डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी। (12) लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक (Negative Marking) की व्यवस्था होगी। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक तथा गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक दिया जायेगा। (13) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को उत्तराखण्ड की वैबसाईट www.ua.nic.in पर प्रकाशन किया जायेगा। (14) चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों को उत्तराखण्ड की वैबसाईट www.ua.nic.in पर प्रकाशन किया जायेगा।	अन्तिम होगी।

(आर० कुकरेती)
अनुभाग अधिकारी
...अनुभाग-3
उत्तराखण्ड शासन

Scanned with CamScanner

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

(15) लिखित परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर प्रवीणता सूची (अन्तिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि लिखित परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में समान अंक प्राप्त करें तो आयु में बड़े अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनाधिक) होगी।

(16) चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(17) जब चयन प्रकिया पूरी हो जाए और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाए तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों का कुल योग व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर जनपद के जिला कार्यालय और संबंधित कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा) अधिकतम अंक के साथ अवरोही क्रम में (Descending Order) उत्तराखण्ड की वैबसाईट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(18) अभ्यर्थियों की ऐसी फीस का जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए, चयन प्रकिया

(एम०आर० कुकरेती)
अनुभाग अधिकारी
ग्राम्य विकास अनुभाग-3
उत्तराखण्ड शासन।

Scanned with CamScanner

	से संबंधित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंको का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करें तो उसे दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियां भी दी जायेंगी।	

(एम०आर० कुकरेती)
अनुभाग अधिकारी
ग्राम्य विकास अनुभाग-3
उत्तराखण्ड शासन।

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

Scanned with CamScanner

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA

परिशिष्ट– 'क'

शासनादेश संख्या–1380/यू0ओ0/45/ग्रा0वि0वि0/2006 दि0 07.12.2006 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग को पुनर्जीवित किया गया है।

शासनादेश संख्या–610/XI/05/53(65)2004 दिनांक 24 जून, 2005 द्वारा स्वीकृत पदों का विवरण:–

क0 स0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या		
			अस्थाई	स्थाई	कुल पदों की संख्या
1.	ग्राम विकास अधिकारी	रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2400 (वर्तमान में लेवल–4)	–	950	950

(एम0आर0 कुकरेती)
अनुभाग अधिकारी
ग्राम्य विकास अनुभाग 3
उत्तराखण्ड शासन।

(मनीषा पंवार),
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner